

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र।

मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 भाद्र 19, 1918।

की अनुपूरक कार्य-सूची।

कार्य सूची के पद क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित पद क्रमांक 7 को जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

"7. नियम 142-के जरूरी अल्पकालीन घर्षा।

गोटेगांव के निकट ग्राम सौंकल में जनपट उपाध्यष्ठ की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री तुन्दर लाल पठवा, विक्रम वर्मा सर्वे कैताश जोशी, सदस्यगण घर्षा उठायेगे।"

भौपाल :

दिनांक : 10 सितम्बर, 1996।

अशोक दत्तवेंदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।